

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम पिनाच के खाता सं. 2/3 खसरा नं. में आवेदन पत्र अनुसार लाला के स्थान पर लालचन्द बनजारा शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश कैम्प PDDU.A.S.P. ग्राम पंचायत मण्डौर में दिनांक 20/6/25 को मजमेआम में सुनाया गया।



20/6/25
सुपखण्ड अधिकारी
फागी